

उत्पादन क्षमता आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा. ; और

(ग) उस संस्थान की स्थापना संचालन में सरकार कितना सहयोग व सहायता देगी?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :**

(क) से (ग). केन्द्रीय फार्मसी संस्थान की स्थापना के बारे में भारतीय फार्मसी परिषद् से एक मुझाव प्राप्त हुआ है, सरकार इस मुझाव का अभी परीक्षण कर रही है ।

**बांधों से कृषि योग्य भूमि की क्षति**

२३२४. श्री किशन पटनायक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जहाँ-जहाँ बड़ी योजना के बांध बने हैं वहाँ की काफी अच्छी भूमि को नुकसान पहुँच रहा है जिस के कारण अनाज के उत्पादन में हानि हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो खेती योग्य यह भूमि कितने एकड़ है और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या प्रतिकार किया जा रहा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) यह देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में, वहाँ पर सिंचाई-व्यवस्था के लिये बांध बनाये गये हैं, अन्तर्भूमि जल-स्तर ( water table ) के ऊंचे उठने और बाद में खारापन और क्षारीयपन के विकास के कारण कृषि भूमि पर असर पड़ा है । इन तीनों राज्यों में व्यापक जल-लग्नता को विशेष रूप से नोट किया गया है ।

(ख) प्रभावित क्षेत्र को मालूम करने के लिये कोई ब्यौरेवार सर्वे नहीं किया गया है । अनुमान है कि पंजाब में कठोरता की विभिन्न डिग्रियों में जल-लग्नता से लगभग

६३ लाख एकड़ भूमि पर असर हुआ है और भूमि में खारापन और क्षारीयपन के बढ़ जाने से लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि बेकार और अनुत्पादक हो गई है । उत्तर प्रदेश में लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि ऊसर हो गई है । यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी यही समस्या है तीसरी योजना में खारो क्षारीय और जल-लग्नता वाली सभी प्रकार की किस्मों के लगभग २ लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिये ३६६ लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है । जल-लग्नता के क्षेत्रों में सुधार करने के लिये सिंचाई विभागों के अन्तर्गत पृथक कार्यक्रम भी हैं ।

**हीराकुद बांध**

२३२५. श्री किशन पटनायक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद जैसे बड़े बांधों के बनने के बाद उन से आशानुकूल फल मिल रहा है या नहीं, इस का विधेपज्ञा द्वारा अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन का क्या प्रति-वेदन है ?

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लगेशन) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इम्पर्टी की जा रही है और सजा की मेज पर रख दी जायेगी ।

**उन्नत किस्म के बीज**

२३२६. श्रीमती सावित्री निगम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तम और सुधरे हुए, बीजों के उत्पादन के लिये किन-किन राज्यों ने कितने अनुदान का विगत एक वर्ष में उपयोग किया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० धामस) :** १९५८-५९ में लागू की गई संशोधित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न योजनाओं को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को